HRA AN USIUM The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933

No. 538]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011

का.आ. 653(अ).—कंन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) एवं धारा 211 की उप-धारा 3 (ग) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28 फरवरी, 2011 के अधिसूचना संख्या का.आ. 447(अ) के पैरा 2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:—

"अधिसूचना दिनांक 1-4-2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष के लिए तैयार किए जाने वाले तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता के लिए प्रवृत्त होगी।"

> [फा. सं. 2/6/2008-सीएल-V] अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 414 तारीख, 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन दिनांक 28 फरवरी, 2011 के संख्या का.आ. 447(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2011

S.O. 653(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 642, read with sub-section (1) of Section 210A and sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956, (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment to paragraph 2 of the notification No. S.O. 447(E) dated the 28th February, 2011:—

"The notification shall come into force for the Balance Sheet and Profit and Loss Account to be prepared for the financial year commencing on or after 1-4-2011."

[F. No. 2/6/2008-C.L.-V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide No. G.S.R. 414, dated the 21st March, 1961 last amended vide No. S.O. 447(E), dated the 28th February, 2011.